

अभ्यर्थी के लिये अन्देश / Instructions for candidate

1. परीक्षार्थी को सलाह दी जाती है कि में परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट पूर्व वे परीक्षा केन्द्र पर पहुँचें।
Candidate is advised to reach the Examination centre 45 minutes before the commencement of Examination.
2. प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। अन्य किसी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
Admission to examination centre, mentioned in the Admit Card will be on production of Admit Card only. Admission to Examination centre, other than mentioned in Admit Card, is not allowed.
3. प्रत्येक सत्र में परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पूर्व अर्थात् 10:30 बजे पूर्वाह्न तक अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने निर्धारित सीट पर बैठ जायें। किसी अन्य सीट पर नहीं बैठें।
Candidate shall occupy her allotted seat half an hour before start of examination i.e. 10.30 AM in examination room/hall. Do not occupy any other seat.
4. परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।
Candidate will not be allowed to enter in examination hall after start of examination.
5. वीक्षक एवं परीक्षार्थी के हस्ताक्षर के पश्चात् प्रवेश पत्र को परीक्षार्थी द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि चयन होने की स्थिति में उसे जाँच के दौरान प्रस्तुत किया जा सके।
Admit card is to be retained by candidate after signature of invigilator and candidate so that in case of selection, the same is produced at the time of counselling.
6. परीक्षा में उपयोग के लिये कम-से-कम दो काली स्याही के बॉल प्वाइंट पेन लायें। पेंसिल का उपयोग परीक्षा में नहीं करें।
BRING MINIMUM TWO BLACK INK BALL POINT PENS FOR USE IN EXAMINATION. DO NOT USE PENCIL IN EXAMINATION.
7. परीक्षा केन्द्र पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कैलकुलेटर, पेजर, सेलफोन, डिजिटल डायरी, ईरफोन तथा लॉग टेबल इत्यादि अपने पास रखना और इनका प्रयोग वर्जित है।
Possession and use of electronic devices such as Calculator, Pager, Cell phone, Digital Diary, earphone and Log Table etc at Centre and its use during examination is prohibited.
8. ओएमआर उत्तर पत्रक पर अभ्यर्थी अपना रोल नं०, प्रश्न पत्र क्रमांक तथा प्रश्न पत्र का कोड निश्चित रूप से भरें अन्यथा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा इस उत्तर पत्रक को रद्द कर दिया जायेगा।
Candidate must fill his/her Roll No, Question Booklet No and Question Booklet code on OMR answer sheet, failing which the OMR answer sheet shall not be evaluated and this OMR answer sheet shall be rejected.
9. परीक्षार्थी सुनिश्चित कर लें कि उनका और वीक्षक का हस्ताक्षर ओएमआर उत्तर पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक में निर्धारित स्थानों पर हो गया है। बिना इन हस्ताक्षरों के ओएमआर उत्तर पत्रिका को अमान्य कर दिया जायेगा।
Candidate should ensure that his signature along with signature of Invigilator are put in OMR answer sheet in the space provided for the same failing which the OMR answer sheet shall be treated as invalid.
10. यह प्रवेश पत्र औपबधिक है और यदि परीक्षार्थी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, तो चयन के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
This Admit Card is being issued as provisional and in case candidate does not fulfill eligibility criteria, his/her candidature will be cancelled even after the selection.
11. Admit Card में अंकित नाम तथा photo अथवा कोई अन्य प्रविष्टि में त्रुटि/विसंगति रहने पर संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र अधीक्षक के नाम से एक आवेदन पत्र अपने Admit card तथा अपना Photo Identity Card के photo copy [self attested] सहित दो प्रति में परीक्षा के 45 मिनट पूर्व देंगे तथा केन्द्र अधीक्षक द्वारा उन्हें परीक्षा में शामिल होने की औपबधिक अनुमति दे दी जायेगी। Admit card में त्रुटि/विसंगति से अभ्यर्थी इसके सुधार के लिए आयोग को भी परीक्षा तिथि के बाद अधिकतम 7 दिन में अवगत करा दें।
In case of any discrepancy/ defect in photograph or any entry on Admit card, the candidate will submit an application to Center Superintendent with a self attested photo copy of admit card and photo identity card at least 45 minutes prior to commencement of examination with request for appearing in the examination. Center Superintendent will allow such candidate to appear in examination provisionally. For rectifying the defect in Admit card, the candidate shall inform the Commission within seven days of examination date.